



280



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

प्रकरण क्रमांक- /2010 निगरानी - 813 III/10

रमेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी- ग्राम
उतन्वाड, तहसील व जिला श्योपुर ॥ म०प्र० ॥

प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत उतन्वाड द्वारा सरपंच ग्राम
पंचायत उतन्वाड तहसील व जिला श्योपुर
॥ म०प्र० ॥

प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० ३० रा० संविदा 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक-27-03-2010 पारित द्वारा अपरआयुक्त
महोदय वम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक-16/2009-2010
निगरानी जिस्के द्वारा कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक-20/08-
2009 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक-12-10-2009 के
विरुद्ध निगरानी निरस्तकी गयी ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- 1- यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत उतन्वाडके द्वारा तहसीलदार श्योपुरके समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम उतन्वाड मे पुलिया

श्री योगेश सिन्घल - एडवोकेट
द्वारा आवेदित दि० 15-6-10 को प्रस्तुत ।
for अवर सचिव 15.6.10
राजस्व मण्डल म० प्र० खालियर


15/6/10
YOGESH SINGHAL
(Adv)

M

K- 813 गा 110 जिला-रूपपुर

30.8.19

आवेदक को संयोजक
सिंधल दिनांक 4.7.16 से अनुपस्थित
हो रहे हैं। आज भी तीन-तीन बार
पुकार लगावार्द गई परन्तु कोई
उपलब्ध नहीं। अतः अनुपस्थिति की
स्थिति पर उक्त प्रकरण को
दस्तावेज में रखा जा रहा है।
एक रिपोर्ट दायर है।


संयोजक